न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 65 / 2022

1 मूंगाराम पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी दादिया रामपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 गोकुलराम पुत्र रूड़ाराम
2 नोपाराम पुत्र रूड़ाराम
3 धन्ना दत्तक पत्र बोदूराम पुत्र नानूराम पुत्र भूरा
3/1 कमली पत्नी स्व. धन्ना
3/2 भंवरलाल
3/3 हरलाल
3/4 जितेन्द्र
3/5 अन्जली
3/6 अनीता पुत्रगण एव पुत्रियां स्व. धन्ना
4 छीतर मल पुत्र नानू
5 रामेश्वर पुत्र नानू समस्त जाति जाट निवासी दादिया रामपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।
6 भागली देवी पुत्री नानू पत्नी मंगला पलसानिया जाति जाट निवासी जैता की ढाणी तन झूंपा तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।
7 सोनी देवी पुत्री नानू पत्नी भंवर सिंह जाति जाट निवासी बूंजा की ढाणी तन खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।
8 लाली देवी पुत्री तुल्छा पत्नी हरदेवा जाति जाट निवासी दादिया रामपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।
9 नानची पुत्री भूरा पत्नी भागीरथमल कुडी जाति जाट निवासी दादिया रामपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।
10 मोहनी देवी पुत्री बोदूराम पत्नी छोटूराम महला जाति जाट निवासी दादिया रामपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।
11 पटवारी हल्का दादिया रामपुरा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

12 उप पजीयक श्रीमाधोपुर
13 उप तहसीलदार रींगस
14 भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला

रेस्पोडेन्टस

अपील अ. धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला निर्णय दिनांक 08.04.2022 मुकदमा नम्बर 07/2022 उनवानी मुकदमा मूंगाराम बनाम गोकुलराम वगे. जिसके तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन खारिज किया गया है।

उपस्थिति :

1. श्री बजरंग सिंह राजपूत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महेन्द्र सिंह सुण्डा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते सीकर

—निर्णय—

दिनांक:— 30/3/26

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 07/2022 में पारित निर्णय दिनांक 08.04.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलान्ट ने एक प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 2335/348, 2336/348, 318, 319, 320, 321,321/2270, 323, 324, 325, 329, 330, 332 से 341, 344 से 347 वाके ग्राम दादिया रामपुरा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

तहसील खण्डेला का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमियों में आवागमन का मुख्य रास्ता खसरा नम्बर 332 से होकर ही गुजरता है उक्त प्रचलित रास्ते की भूमि से विवादित भूमियां आपस में जुड़ी हुई है उक्त रास्ता को कटानी रास्ता कायम करवाने बाबत अपीलान्ट ने भी अपने वाद व आवेदन में स्पष्ट उल्लेख किया है इसके उपरान्त भी विचारण न्यायालय का इस निष्कर्ष पर पहुंचना की अपीलान्ट ने खसरा नम्बर 332 से हो रहे आवागमन को अवरूद्ध करने के आशय के फलस्वरूप ही उक्त वाद व आवेदन प्रस्तुत किया गया है उक्त अदालत का निष्कर्ष गलत है बंटवारे में पक्षकारान द्वारा रास्ते की मांग नहीं किये जाने की स्थिति में भी विचारण न्यायालय का कर्तव्य बनता है कि बंटवारे के वाद में प्राथमिक डिक्री जारी करते वक्त रास्ता के बाबत भी आवागमन हेतु निर्देशित किये जाते है। जबकि इस वक्त विवादित भुमि संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि है जिसमें प्राथमिक डिक्री के द्वारा बंटवारा होने की स्थिति में रास्ता बाबत भी तहसीलदार द्वारा बंटवारा प्रस्ताव में उल्लेख किया जावेगा। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण में यदि पहले 251 आर.टी. एक्ट के तहत कार्यवाही भी की गई है तो उसका कोई महत्व नही रह जाता है जबकि अपीलान्ट द्वारा स्वयं ही रास्ता की भूमि की मांग कर रहा है दूसरी तरफ अंतर्गत धारा 251 के तहत रेस्पोडेन्ट द्वारा कार्यवाही करके स्वयं के द्वारा ही रास्ता की कार्यवाही को अवरूद्ध करने पर अमादा है जिसका गलत आरोप अपीलान्ट पर गलत रूप से लगाया जा रहा है। अपीलान्ट का विवादित भूमियों का कदीम से कब्जा, काश्त चला आ रहा है जिसको रेस्पोडेन्ट ने भी स्वीकार किया है परन्तु अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन पत्र को निरस्त होने के पश्चात रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 10 ओर भी ज्यादा खूंखार हो गये है। अपीलान्ट के कब्ज काश्त में दखलअंदाजी करने पर अमादा है विवादित भूमियों पर पुख्ता निर्माण करने की फिराक में है। भूमियों को रहन, विक्रय करने की धमकी देते है व संख्या बल में भी अधिक है ऐसी स्थिति में अनावश्यक रूप से विवाद को टालने के आशय के फलस्वरूप यह अपील प्रस्तुत किया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जाना आवश्यक हुआ है। अपील अपीलान्ट विरूद्ध रेस्पोडेन्टस स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.04.2022 खारिज किया जाकर विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को तादौराने दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किये जाने बाबत आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलान्ट ने एक प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 2335/348, 2336/348, 318, 319, 320, 321,321/2270, 323, 324, 325, 329, 330, 332 से 341, 344 से 347 वाके ग्राम दादिया रामपुरा तहसील खण्डेला का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उभयपक्ष ने विवादित भूमियों का 50-60 वर्ष पूर्व विवादित पक्षकारान के मध्य बाहमी बंटवारा होना बताया है तथा मुताबिक बाहमी बंटवारा विवादित पक्षकारान का अपने हक-हिस्सानुसार काबिज काश्त होना स्वीकार किया है। मुताबिक बाहमी बंटवारा प्रार्थी व दावा में तरतीबी प्रतिवादीगण के बंटवारे में भूमि खसरा नम्बर 330, 319 सम्पूर्ण खसरा नम्बर 329 में से 0.20 है. होना वकुलाये उभयपक्ष ने स्वीकार किया है लेकिन खसरा नम्बर 330 की पश्चिम सीमा के सहारे-सहारे तथा खसरा नम्बर 335 में से 0.19 है. पश्चिमी तरफ वाली एवं भूमि खसरा नम्बर 320 में से 0.950 है. उत्तरी तरफ वाली व भूमि खसरा नम्बर 319 की दक्षिणी सीमा से लगती हुई भूमि का प्रार्थी व दावे में तरतीबी प्रतिवादीगण के बंटवारे में आना वकील अप्रार्थीगण ने अस्वीकार किया है। विवादित भूमियों में आवागमन हेतु रास्ता भूमि खसरा नम्बर 332 से होकर भूमि खसरा नम्बर 322 (चाह) तक जाने का तथा खसरा नम्बर 335 की पश्चिमी व 320 की पूर्वी सीमा के मध्य रास्ता भूमि खसरा नम्बर 319 व खसरा नम्बर 320 में बंटवारे वाली भूमि तक कायम होना वकील प्रार्थी ने बताया है जबकि वकील अप्रार्थीगण ने रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 332 को प्रार्थी व दावे में तरतीबी प्रतिवादीगण द्वारा जबरन हड़पकर मौके पर खसरा नम्बर 347 में से रास्ते की स्थिति गलत प्रदर्शित करना बताते हुए मौके पर मौजूद रास्ता खसरा नम्बर 332 की पत्थरगढ़ी करके रास्ते के आवागमन को सुगम व सुरक्षित बनाने व खसरा नम्बर 318, 336, 338,

सू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

346 व 344 तक भी रास्ते की व्यवस्था को निर्धारित करने पर अपनी सहमति दी है। उक्त रास्ते के संबंध में न्यायालय तसीलदार खण्डेला ने उनवानी प्रकरण धन्नाराम वगै. बनाम मुगाराम वगै. मु.नं. 06/2021 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धाारा 251 आरटीएक्ट में प्रार्थी मूंगाराम के विरूद्ध निर्णय आदेश पारित कर खसरा नम्बर 322 व 323 में प्रचलित रास्ते से अवरोध हटाकर खुलवाने हेतु उपतहसीलदार रींगस को आदेशित किया है जिससे वकील प्रार्थी का उक्त न्यायालयी आदेश की पालना को रूकवाने हेतु हस्तगत प्रार्थना पत्र टी.आई. में स्थगन आदेश लिया जाना प्रतीत होता है। विवादित भूमि में विवादित पक्षकारान के मध्य हक हिस्सा का निर्धारण वादपत्र में गुणावगुण के आधार पर लिया जाना है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण के लिए निर्धारित तीनों घटकों प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु का निर्धारण कर विचाराधीन निर्णय से अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलान्ट ने एक प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 2335/348, 2336/348, 318, 319, 320, 321,321/2270, 323, 324, 325, 329, 330, 332 से 341, 344 से 347 वाके ग्राम दादिया रामपुरा तहसील खण्डेला का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

प्रस्तुत प्रकरण में उभयपक्ष ने विवादित भूमियों का 50–60 वर्ष पूर्व विवादित पक्षकारान के मध्य बाहमी बंटवारा होना बताया है तथा मुताबिक बाहमी बंटवारा विवादित पक्षकारान का अपने हक–हिस्सानुसार काबिज काश्त होना स्वीकार किया है।

मुताबिक बाहमी बंटवारा प्रार्थी व दावा में तरतीबी प्रतिवादीगण के बंटवारे में भूमि खसरा नम्बर 330, 319 सम्पूर्ण खसरा नम्बर 329 में से 0. 20 है. होना वकुलाये उभयपक्ष ने स्वीकार किया है लेकिन खसरा नम्बर

मू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

330 की पश्चिम सीमा के सहारे–सहारे तथा खसरा नम्बर 335 में से 0.19 है. पश्चिमी तरफ वाली एवं भूमि खसरा नम्बर 320 में से 0.950 है. उत्तरी तरफ वाली व भूमि खसरा नम्बर 319 की दक्षिणी सीमा से लगती हुई भूमि का प्रार्थी व दावे में तरतीबी प्रतिवादीगण के बंटवारे में आना वकील अप्रार्थीगण ने अस्वीकार किया है।

विवादित भूमियों में आवागमन हेतु रास्ता भूमि खसरा नम्बर 332 से होकर भूमि खसरा नम्बर 322 (चाह) तक जाने का तथा खसरा नम्बर 335 की पश्चिमी व 320 की पूर्वी सीमा के मध्य रास्ता भूमि खसरा नम्बर 319 व खसरा नम्बर 320 में बंटवारे वाली भूमि तक कायम होना प्रार्थी ने बताया है जबकि अप्रार्थीगण ने रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 332 को प्रार्थी व दावे में तरतीबी प्रतिवादीगण द्वारा जबरन हड़पकर मौके पर खसरा नम्बर 347 में से रास्ते की स्थिति गलत प्रदर्शित करना बताते हुए मौके पर मौजूद रास्ता खसरा नम्बर 332 की पत्थरगढ़ी करके रास्ते के आवागमन को सुगम व सुरक्षित बनाने व खसरा नम्बर 318, 336, 338, 346 व 344 तक भी रास्ते की व्यवस्था को निर्धारित करने पर अपनी सहमति दी है।

उक्त रास्ते के संबंध में न्यायालय तहसीलदार खण्डेला ने उनवानी प्रकरण धन्नाराम वगै. बनाम मुगाराम वगै. मु.नं. 06/2021 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आरटीएक्ट में प्रार्थी मूंगाराम के विरूद्ध निर्णय आदेश पारित कर खसरा नम्बर 322 व 323 में प्रचलित रास्ते से अवरोध हटाकर खुलवाने हेतु उपतहसीलदार रींगस को आदेशित किया है प्रस्तुत प्रकरण प्रार्थी द्वारा उक्त न्यायालयी आदेश की पालना को रूकवाने हेतु प्रार्थना पत्र टी.आई. प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है।

विवादित भूमि में विवादित पक्षकारान के मध्य हक हिस्सा का निर्धारण वादपत्र में गुणावगुण के आधार पर लिया जाना है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण के लिए निर्धारित तीनों घटकों प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु का निर्धारण कर विचाराधीन निर्णय से अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

मु.प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30/3/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
सीकर